[2018] 1 एस. सी. आर 828

धीरज मोर

वी.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

(2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14156 आदि)

23 जनवरी, 2018

[कुरियन जोसेफ और

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी भर्ती के माध्यम से-क्या नियुक्ति के लिए पात्रता होनी है

केवल नियुक्ति के समय या दोनों के लागू होने के समय-उपयुक्त पीठ का गठन करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया मामला।

रामेश्वर दयाल बनाम। पंजाब राज्य और अन्य एआईआर 1961 एससी 816: [1961] एस. सी. आर. 874; चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1987; सत्य नारायण सिंह बनाम। इलाहाबाद और अन्य उच्च न्यायालय (1985) 1 एस. सी. सी. 225: [1985] 2 एससीआर 112; दीपक अग्रवाल बनाम। केशव कौशिक और अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 277: [2013] 1 एससीआर 402; विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य। वी. पटना और अन्य में उच्च न्यायालय। (2016) 9 एससीसी 313: [2016] 3 एस. सी. आर. 806; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 4 एससीसी 247: [2002] 2 एससीआर 712; श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम। भारत संघ और अन्य (1992) 2 एससीसी 428: [1992] 2 एस. सी. आर. 109; असम राज्य बनाम क्षितिज संघ और एक अन्य [1967] 1

एस. सी. आर. 484 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1961] एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पैरा

आकाशवाणी 1966 एससी 1987

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 एससीआर 112

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 1 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा

828 धीरज मोर बनाम। दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

[2016] 3 एससीआर 806

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 712

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 एससीआर 109

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1967] 1 एससीआर 484

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

((ग) नहीं। 14156 2015 का

उच्च न्यायालय के 19.02.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के डब्ल्यू. पी. सी. सं. 9303 में नई दिल्ली में दिल्ली का।

के साथ

एसएलपी (सी) संख्या। 14676 , 24219 , 30556 2015 का

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 77 , 130 , 171 , 405 , 600 , 598 , 601 , 602 , 733 2016 का

एसएलपी (सी) संख्या। 15764 , 23823 , 24506 2016 का

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 414 , 423 2016 का

एस. एल. पी (ग) सी. सी. सं. 15018 , 15304 2016 का

डब्ल्यू. पी. (ग) 2017 की सं. 189,222,334

पी. एस. पटवालिया, संजय हेगड़े, ए. मारियारपुथम, प्रवीण एच. पारेख,

सुश्री किरण सूरी, जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। आर. सी. कौशिक, यासिर रउफ, सुश्री नताशा, अभिलाष एम. आर., हेमंत पांडे, ए. सुब्बा राव, अन्नम डी. एन. राव, ए. वेंकटेश, राहुल मिश्रा, क्षत्रशाल राज, उत्कर्ष दीक्षित, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री ऐश्वर्या दास (मेसर्स के लिए)। पारेख एंड कंपनी), भरत सिंह, एम. के. मारोरिया, सुश्री प्रेरणा कुमारी, ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगानाधन, सुश्री अचल अरोड़ा, बी. एस. मोर, नीरज मोर, यासिर, आर. सी. कौशिक, सुश्री निदा डी। (डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा के लिए), हरीश पांडे, मनीष कुमार, अजय विक्रम सिंह, अभिषेक, संतोष कुमार, दीपक आनंद, सुश्री मंजू जेटली, शशांक सिंह, रवींद्र एस. गरिया, सुश्री निलोफर खान, ओ. पी. भदानी, एस. एस. पांडे, राजीव रंजन द्विवेदी, के. के. झा, प्रभाकर टी., पंकज के. मिश्रा, सुश्री अर्चना मिश्रा, शुची सिंह, कृष्ण कांत दुबे, राकेश कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार। मिश्रा, सुश्री अर्चना मिश्रा, संजय कुमार दुबे, आदित्य शर्मा, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, बंकी बिहारी, अमित के. ठाकुर, आशुतोष झा, सुश्री अर्चना पाठक दवे, निशे राजन शोंकर, पी. पी. नायक, अजय

पाल, सुश्री भूपिंदर, सुश्री वंदना एम. हुड्डा, मनीष सिंघवी, डी. के. देवेश, यू. पी. सिंह, एस. के. रोशन, दया कृष्ण शर्मा, अखिलेश त्रिपाठी, देवेश कुमार त्रिपाठी, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुकृत कपूर, सुश्री सुदिप्ता सरकार, यशवर्धन, जगजीत सिंह छाबड़ा, अंबुज दीक्षित, [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सक्षम माहेश्वरी, सनी चौधरी, मृण्मय भट्टमेवाड़ा, संजय कुमार त्यागी, अमित शर्मा, गौरव अग्रवाल, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, ए. सुब्बा राव, अनिरुद्ध पी. मयी, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, अंभोज कुमार सिन्हा, महालिंग पांडर्गे, निशांत आर. कटनेश्वरकर, प्रवीण स्वरूप, सुशील जैन, सुश्री सुमी पी. एस., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

आदेश

1. इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे नियुक्ति के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या से संबंधित हैं -

जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती।

2. याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से दो दलीलें उठाई हैं-(i) यदि किसी उम्मीदवार ने एक वकील के रूप में सात साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली है, तो वह /

वह इस तथ्य के बावजूद एक योग्य उम्मीदवार होगी कि आवेदन/नियुक्ति की तारीख को, वह संघ या राज्य की सेवा में है; (ii) वे सदस्य जो सिविल जज, जूनियर डिवीजन के रूप में न्यायिक सेवा में हैं।

या वरिष्ठ प्रभाग, यदि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के रूप में सात वर्ष या न्यायिक अधिकारी-सह-अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो उन्हें योग्य उम्मीदवार माना जाना चाहिए।

3. के विभिन्न निर्णयों का व्यापक संदर्भ दिया गया है

यह न्यायालय जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से संबंधित है। मामले की पूरी तस्वीर प्रदान करने के लिए, हम संक्षेप में प्रासंगिक पर चर्चा करेंगे

मामले। 4. रामेश्वर दयाल बनाम का मामला। पंजाब राज्य और अन्य 1 जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित है

विभाजन से पहले लाहौर उच्च न्यायालय में वकालत की अवधि। पैराग्राफ 11 और 13 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 11. यह वह पृष्ठभूमि है जिसके खिलाफ हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क पर विचार करना होगा। भले ही हम उनकी शुद्धता पर अंत में घोषणा किए बिना यह मान लें कि विद्वान वकील अपनी पहली दो प्रस्तुतियों में सही हैं, अर्थात। , कि सी. एल. में "अधिवक्ता" शब्द है। (2) कला की। 233 इसका अर्थ है भारत में किसी न्यायालय का अधिवक्ता और नियुक्त व्यक्ति को ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए उनकी नियुक्ति के समय, उन आधारों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है

1 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 816 हीराज मोर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

उत्तरदाताओं में से तीन की नियुक्ति के लिए उठाया जाए जो

वास्तव में पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में थे

उनकी नियुक्ति के समय; क्योंकि निश्चित रूप से वे थे

भारत में एक न्यायालय में अधिवक्ता और इस तरह के अधिवक्ताओं के रूप में जारी रहे

उनकी नियुक्ति की तारीखों तक। इस संबंध में एकमात्र सवाल

उनके लिए यह है कि क्या वे गिनती कर सकते हैं। सात वर्ष की अवधि में लाहौर उच्च न्यायालय में या उसके अधीन अभ्यास की उनकी अवधि।

XXX

XXX

XXX

13. ..... शायद यह जोड़ना आवश्यक है कि हमें नहीं होना चाहिए

हमेशा इसका मतलब है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील का क्या मतलब है व्याकरण के सख्त नियमों के अनुसार। यह गंभीर हो सकता है

सवाल यह है कि क्या एक जैविक संविधान इतना संकीर्ण होना चाहिए

संविधान के अन्य अनुच्छेदों जैसे कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। 5 (ग) जहाँ संदर्भ में अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है।

इलाहाबाद के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मुबारक मजदूर बनाम में उच्च न्यायालय। के. के. बनर्जी आकाशवाणी 1953 सभी

323 जहाँ एक समान अभिव्यक्ति को एक अलग अर्थ दिया गया था

उप-अनुभाग के परंतुक में घटित होना। (3) एस. 86 का

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। हम इस पर विचार करते हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं

हम अब पंजाब के वकील बने रहने पर विचार कर रहे हैं।

वे स्पष्ट रूप से सी. एल. के तहत नियुक्ति के लिए पात्र थे। 2 कला की। 233 संविधान "।

(जोर दिया गया)

5. चन्द्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 2 , यह

अनुच्छेद 233 के खंड 2 में "सेवा" अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई

न्यायिक सेवा।6. सत्य नारायण सिंह बनाम। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय। 3 , इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या न्यायिक

जिनका सेवा में प्रवेश करने से पहले बार में सात साल तक काम किया था

जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हों। उद्धृत करने के लिए:

966 एससीसी 1987

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. याचिकाकर्ताओं ने कई रिट याचिकाओं में अब हमारे सामने

साथ ही 1982 की सिविल अपील सं. 548 में अपीलार्थी और

रिट याचिका संख्या में याचिकाकर्ता। 6346-6351 1980 का जो हम

1980 में प्रदेश न्यायिक सेवा जब वे सभी, जवाब में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक विज्ञापन के लिए आवेदन किया गया

उत्तर प्रदेश उच्चतर में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाए न्यायिक सेवा। उन्होंने दावा किया कि उनमें से प्रत्येक ने पूरा किया था

7 उनकी नियुक्ति से पहले भी बार में अभ्यास के वर्ष

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और इसलिए, पात्र थे

उच्च न्यायपालिका में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना

सेवा "।

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 233 के पाठ का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 3. ..... यह केवल दूसरे द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों के संबंध में है

खंड कि एक आवश्यकता है कि एक व्यक्ति पात्र होगा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए यदि वह अधिवक्ता रहा है या

कम से कम 7 साल के लिए एक वकील। दूसरे शब्दों में, के मामले में

ऐसे उम्मीदवार जो न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए

कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहे हों और उनके समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सिफारिश की जानी चाहिए।

जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि उम्मीदवार जो 7 साल की न्यायिक सेवा के सदस्य हैं '

नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है लेकिन इसके साथ परामर्श किया जाना चाहिए

भर्ती और द्विभाजन बनाए रखा जाता है। दोनों धाराएँ वे अलग हैं जब तक कि वे नियुक्ति द्वारा एक साथ नहीं आते हैं। जाहिर है।

एक ही जहाज दोनों धाराओं को एक साथ नहीं चला सकता है।

(जोर दिया गया)

सत्य नारायण सिंह (ऊपर) में, न्यायालय ने विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है -

ह्वार दयाल (ऊपर) यह नोट करने के लिए कि अनुच्छेद 233 एक स्व-निहित है

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। अंत में, पैराग्राफ में

चंद्र मोहन (ऊपर) की चर्चा करते हुए, यह माना गया था किः

" 5. सवाल उठाते हुए कि क्या अभिव्यक्ति "की सेवा" है

संघ या राज्य की "से संघ या राज्य की कोई सेवा अभिप्रेत है।

राज्य या क्या इसका अर्थ संघ की न्यायिक सेवा है

या राज्य के, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने दृढ़ता से अभिनिर्धारित किया कि हीराज मॉर बनाम।

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 233 (2) में "सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल यह हो सकता है कि

न्यायिक सेवा। लेकिन उनका उपरोक्त कथन से कोई मतलब नहीं था कि व्यक्ति जो पहले से ही सेवा में हैं, पर

उच्च न्यायालय की सिफारिश को जिला के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

न्यायाधीश, अन्य सभी वरिष्ठों के दावों की अनदेखी करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के विपरीत अधीनस्थ न्यायपालिका

संविधान "।

(जोर दिया गया)

7. दीपक अग्रवाल बनाम। केशव कौशिक और अन्य। ए, ए श्री

इस न्यायालय की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी बंद नहीं हुए

सहायक जिला अटार्नी/लोक अभियोजक/के रूप में कार्य करते हुए

y महाधिवक्ता। इस निर्णय पर पहुंचने पर, यह न्यायालय भी इस अभिव्यक्ति के साथ, "यदि वह 7 साल से कम नहीं रहा है

अनुच्छेद 233 (2) में लिखा है। पैराग्राफ 51 और 102 इस प्रकार हैं:

" 51. उपरोक्त से, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति, "द

अनुच्छेद 233 (2) में सेवा का अर्थ है "न्यायिक सेवा"। अन्य संघ या राज्य की सेवा के सदस्य हैं जैसा कि इसे बाहर रखा गया है

क्योंकि अनुच्छेद 233 केवल दो स्रोतों पर विचार करता है जिनसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये स्रोत हैं: ((i)

न्यायिक सेवा; और (ii) अधिवक्ता/प्लीडर या दूसरे शब्दों में

बार से। इस प्रकार, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है -

न्यायिक सेवा या अधिवक्ताओं के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं। अनुच्छेद 233 (2) में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को शामिल नहीं किया गया है।

न्यायिक सेवा और जिले के रूप में नियुक्ति की पात्रता को प्रतिबंधित करता है वकालत करने वाले अधिवक्ताओं या वकीलों में से न्यायाधीश

सात वर्ष से कम नहीं और जिनकी सिफारिश की गई है

उच्च न्यायालय द्वारा "। XXX

XXX

XXX

" 102. अभिव्यक्ति के निर्माण के संबंध में, "यदि वह किया गया है के अनुच्छेद 233 (2) में कम से कम सात साल के लिए एक अधिवक्ता

संविधान में, हमें लगता है कि श्री प्रशांत भूषण सही थे

आवेदन से तुरंत पहले और सात साल नहीं अतीत में। यह "किया गया है" के उपयोग से स्पष्ट है। वर्तमान में

सही निरंतर काल का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जो शुरू हुई थी

कभी अतीत में और अभी भी जारी है। अतः इनमें से एक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त आवश्यक आवश्यकताएँ

अनुच्छेद 233 (2) यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित अवधि के साथ आवेदन की तारीख को एक वकील के रूप में जारी रहना।

(जोर दिया गया)

8. विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य। वी. उच्च न्यायालय

पटना और अन्य में। 5 एक ऐसा मामला है जहाँ एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें योग्य अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे

जिला न्यायाधीश का पद। विज्ञापन के अनुसार, अपीलार्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा के लिए अर्हता प्राप्त की बिहार से सेवा में आए और अगस्त, 2015 में सेवा में शामिल हुए। जिला न्यायाधीश के पद के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम जनवरी, 2016 में घोषित किया गया था और अपीलकर्ताओं ने इसके लिए अर्हता प्राप्त की थी। हालाँकि, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 233 (2) को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि वे थे

पहले से ही राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा में। चेलमेश्वर, जे. को उद्धृत करने के लिए:

" 7. यह सेवा कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि एक अंतर है चयन और नियुक्ति के बीच। हर एक व्यक्ति जो

राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में सफल होने के लिए

राज्य के तहत कुछ पदों को भरने का उद्देश्य नहीं है

233 (2) केवल उस व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जो पहले से ही है संघ या राज्य की सेवा में, लेकिन चयन में नहीं

ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का भाग लेने का अधिकार नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा की गई चयन प्रक्रिया

लोक सेवा में कोई भी पद (अन्य तर्कसंगत अनुदेशों के अधीन)

चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता के बारे में

जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता, आदि) और इस पर विचार किया जाना चाहिए

8. अनुच्छेद 233 (2) का पाठ केवल एक की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है जिला न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही सेवा में है

या तो संघ या राज्य का। यह निषेध नहीं करता है सेवा में कार्यरत व्यक्ति की उम्मीदवारी पर विचार

संघ या राज्य का। एक व्यक्ति जो सेवा में है

यदि चुना जाता है तो संघ या राज्य के पास अभी भी विकल्प होगा,

जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा में शामिल होना या अपने मौजूदा पद पर बने रहना

5 (2016) 9 एस. सी. सी. 313 हीराज मॉर बनाम

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

जिला न्यायाधीश, हमारी राय में, पाठ द्वारा भी अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 233 (2) और न ही की योजना के तहत विचार किया गया

संविधान के रूप में यह किसी भी संवैधानिक रूप से वांछनीय कार्य नहीं करेगा

उद्देश्य "।

(जोर दिया गया)

9. इस अदालत ने सत्य नारायण सिंह के फैसले पर ध्यान दिया

लेकिन इसे यह मानते हुए अलग किया गया किः

" 10. उपर्युक्त निर्णयों में से पहले में, अपीलार्थी

इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश के सदस्य थे। न्यायिक सेवा। हाई द्वारा एक विज्ञापन के जवाब में

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश)। यह. निर्णय से प्रकट होता है "क्योंकि इसके बारे में एक सवाल था

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों की पात्रता उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करना।

(सत्य नारायण मामला, एस. सी. सी. पी. 227, पैरा 1), उनमें से कुछ

रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया जो थे

खारिज कर दिया और इसलिए, उन्होंने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह नहीं है।

फैसले से बहुत स्पष्ट है कि उनके बारे में सवाल कैसे है

पात्रता उत्पन्न हुई और यह किस स्तर पर उत्पन्न हुई। लेकिन तथ्य यह है कि,

इस न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के आधार पर, उन्हें अनुमति दी गई थी

परीक्षा में उपस्थित हों। इस न्यायालय के समक्ष तर्क था

कि सभी याचिकाकर्ताओं ने सात साल की अवधि के लिए वकालत की थी

अधीनस्थ न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले, और इसलिए,

वे जिले के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं

न्यायाधीश इस तथ्य के बावजूद कि वे पहले से ही थे न्यायिक सेवा।

11. यह सत्य नारायण के फैसले को पढ़ने से प्रतीत होता है।

जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नानुसार विचार किया जाए - बार के सदस्यों की श्रेणी जिन्होंने सात पूर्ण किए थे

अभ्यास के वर्षों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वे पहले से ही थे

न्यायिक सेवा। उक्त तथ्य निस्संदेह एक बाधा के रूप में काम करता है। उच्च न्यायिक में उनकी नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 233 (2) के तहत

सेवा करते हैं। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने उनके दावे को खारिज कर दिया।

न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं था और न ही यह न्यायालय उस में गया था सवाल "।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दीपक अग्रवाल (ऊपर) में निर्णय› हाथ में मुद्दे की प्रासंगिकता।

10. पूरक राय में, जे. सप्रे ने निम्नलिखित राय दीः

ए. टी. एन. जो इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैंः

हालाँकि, प्रतिवादी (उच्च न्यायालय) ने तर्क दिया कि शब्द " संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में होने वाली नियुक्ति होनी चाहिए।

संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि उनकी नियुक्ति की तारीख। यह उनका निवेदन था कि यदि ऐसा कोई

व्यक्ति को संघ या राज्य की सेवा में पाया जाता है, क्योंकि

अनुच्छेद के खंड (2) में निर्धारित अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा 233 और न तो आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और न ही पात्र होंगे

न तो अनुच्छेद का पाठ और न ही अनुच्छेद में आने वाले शब्द 233 (2) इस तरह की व्याख्या का सुझाव दें। वास्तव में, यदि उसका तर्क है

यह स्वीकार किया जाए तो यह अनुच्छेद 233 (2) की भावना के खिलाफ होगा। मेरा।

विद्वान भाई ने इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए बताया है

परिणाम, जो स्वीकार करने की स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना है

इस तरह का तर्क और उन्होंने जो बताया है, मैं उससे सहमत हूं।

23. मेरे विचार में, शब्दों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है

" सेवा न्यायशास्त्र में चयन और नियुक्ति। (देखें।

प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम। प्रकाश चंद्र मिश्रा)। कब

संविधान निर्माताओं ने "नियुक्त" शब्द का उपयोग किया है।

व्यक्ति अपनी सेवा के संदर्भ में तब यह संभव नहीं है कि उसके स्थान पर "चयन" या "भर्ती" शब्द पढ़ें। अन्य में

शब्द, "नियुक्त" शब्द को शब्द को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है

" चयन "," भर्ती "या" भर्ती प्रक्रिया "।

24. मेरी राय में, किसी व्यक्ति के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है

जिला न्यायाधीश का पद, यदि वह अन्यथा, योग्यताओं को संतुष्ट करता है DHERAJ MOR v.

दिल्ली का माननीय उच्च न्यायालय

संघ की सेवा में रहते हुए पद के लिए निर्धारित /

राज्य। यह केवल उनकी नियुक्ति के समय होता है (यदि अवसर हो तो)।

उत्पन्न होता है) उसकी पात्रता का सवाल उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को नकारना

चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने के लिए जब वह अन्यथा

विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है अनुच्छेद 233 के खंड (2) का सहारा लेना, मेरी राय में, राशि होगी।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अपने अधिकार का उल्लंघन करना।

भारत का संविधान "।

(जोर दिया गया)

11. कुछ विद्वान सलाहकारों ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य, श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम। भारत संघ और अन्य और असम राज्य बनाम। क्षितिज संघ और दूसरा।

12. सुखदा प्रीतम और अन्न v में दिनांकित 03.04.2017 क्रम में।

राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय और ए. एन. आर. जो बैच के मामलों में से एक है, कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों का भी संदर्भ है। जिसमें यह प्रावधान है कि "सात वर्ष की अवधि की गणना में एक अवधि शामिल होगी जिसके दौरान वह (एक उम्मीदवार) न्यायिक पद पर रहा है"। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

13. इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों को देखते हुए, एक प्रमुख मुद्दा

विचार के लिए उत्पन्न होने वाली बात यह है कि क्या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता केवल नियुक्ति के समय या आवेदन के समय या दोनों में देखी जानी चाहिए। इस प्रकार, हमारे समक्ष रखे गए तर्कों और सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर निर्दिष्ट मामलों में अनुपात और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से कुछ स्पष्ट रूप से विविध हैं, हमारा यह भी विचार है कि इन मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या के बारे में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। इसलिए, हमारी राय है कि इस मामले को एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

14.याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया कि सभी

याचिकाकर्ता, अंतरिम आदेशों के आधार पर, लिखित परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं और कुछ मामलों में वे साक्षात्कार में भी शामिल हुए हैं। हमें सूचित किया जाता है कि कुछ मामलों में, अन्य योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति इन मामलों के लंबित होने के कारण रुकी हुई है।

6 (2002) 4 एससीसी 247 7 (1992) 2 एस. सी. सी. 428

8 [1967] 1 एससीआर 484 838

15. रजिस्ट्री माननीय से उचित आदेश ले सकती है

ए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऊपर उल्लिखित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नियुक्ति के लिए कहा। कल्पना के. त्रिपाठी